

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0008**Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**

08/07/2025 14:22 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**1 **Day (दिन):** Intervening Days**Date from (दिनांक से):**

12/06/2024

Date To (दिनांक तक):

08/07/2025

Time Period (समय अवधि):**Time From (समय से):** 00:00

hrs

Time To (समय तक): 09:50

hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):****Date (दिनांक):**

08/07/2025

Time (समय): 10:23

hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):****Entry No. (प्रविष्टि सं.):**

004

Date and Time**(दिनांक और समय):**

08/07/2025 10:23

hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written5. **Place of Occurrence****(घटनास्थल):**1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 4 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**(b) **Address (पता):** साईबर थाना मनसा देवी पंचकुला,(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):****District (State) (जिला (राज्य)):**6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**(a) **Name (नाम):** राजीव भारद्वाज(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री स्व० श्री शिव कुमार(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1980(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):****Date of Issue (जारी करने की दिनांक):****Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	मकान नम्बर 298 वार्ड नम्बर 02, मोरिण्डा जिला रोपड, PANCHKULA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	मकान नम्बर 298 वार्ड नम्बर 02, मोरिण्डा जिला रोपड, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8968686338

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	स030नि0 जसबीर सिंह			1. साईबर थाना मनसा देवी, पंचकुला PANCHKULA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

श्रीमान जी,

निवेदन है, कि मैं राजीव भारद्वाज पुत्र श्री स्व0 श्री शिव कुमार निवासी मकान नम्बर 298 वार्ड नम्बर 02 मोरिण्डा जिला रोपड अब मकान नम्बर 218 स्वास्तिक विहार जीरकपुर में किराये पर रहा हूँ। मैं सैनट्री ट्रेडिंग का प्राइवेट कार्य करता हूँ। मैंने फरवरी 2024 में मुथूट फाईनैस कम्पनी के पास सोना गिरवी रखकर लोन लिया था।

उसके बाद मेरा विचार सोना बेचकर लोन उतारने का बन गया जिसके लिए मैंने Cash your Gold Company Sector -20 पंचकूला में सम्पर्क किया जिन्होंने दिनांक 12.06.2024 को 5,65,000/- रुपये मेरे खाता में दे दिए व बदले में मुथूट फाईनैस कम्पनी से गोल्ड वापिस लेकर मुझे उन्हें देना था। उसी दिन Cash your Gold Company ने मेरे खिलाफ एक शिकायत साईबर थाना गुरुग्राम में कर दी। वहाँ से फोन आने लगे कि या उनका कैश वापिस कर दो या उनको गोल्ड दे दो। मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैंने मेरे लेनदारों के पैसे चुकते कर दिए थे। कुछ दिन तक उनके फोन आते रहे और गुरुग्राम पुलिस ने मेरे व मेरे लेनदारों के बैंक खाते फ्रीज करवा दिए। उसके बाद मेरी शिकायत उन्होंने साईबर थाना मनसा देवी में ट्रांसफर कर दी। जो मेरी दरखास्त नम्बर 21306240022935 दिनांक 12.06.2024 ASI जसबीर सिंह के पास पैण्डिंग है। उन्होंने मेरे को कहा कि या तो उस कम्पनी का लोन भर दो या उन्हें गोल्ड वापिस कर दो। मैंने कहा सर मैं रुपये का इन्तजाम कर रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले ही मुथूट फाईनैस कम्पनी द्वारा मेरे गोल्ड की नीलामी कर दी और उनकी लोन की राशि को काटने के बाद जो राशि मेरी बनती थी उन्होंने मेरे बैंक एकाउण्ट में ट्रांसफर कर दी जो पहले ही फ्रीज था। इस बारे में मैंने ASI जसबीर सिंह से बात की ताकि मैं लोन चुका सकूँ। जसबीर सिंह ने मेरे बैंक खाते को खुलवा दिया और कहा कि इस खाता में जितनी भी राशि है वह बैंक की छोड़ और मुझे बतौर रिश्त दे दे मैं आपकी दरखास्त को बंद कर दूँगा। मैंने अपने बैंक एकाउण्ट से 2,50,000/- रुपये की राशि निकाल ली और कुछ राशि को मैंने मेरे लेनदारों को दे दिया। जसबीर सिंह मुझसे 2,50,000/- रुपये बतौर रिश्त मांग रहा है। मेरे पास पूरे रुपये न होने पर मैंने जसबीर सिंह से बात करके 1,15,000/- रुपये में बात पक्की की है जिसने मुझे आज रुपये लेकर बुलाया है। जिसकी मैंने रिकार्डिंग कर रखी जो मैं आपको बाद में पेश कर दूँगा। मैं यह राशि नहीं देना चाहता और जसबीर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

SD RAJIV

राजीव भारद्वाज पुत्र श्री स्व० श्री शिव कुमार,
निवासी मकान नम्बर 298 वार्ड नम्बर 02 मोरिण्डा,
जिला रोपड़

कार्यवाही पुलिस:- आज मन उप पुलिस अधीक्षक फोन पर सूचना पाकर स्टाफ व रेडिंग पार्टी लैपटाप प्रिन्टर सहित मोटर मार्किट मनीमाजरा हाजिर आया हूँ। जहाँ शिकायतकर्ता राजीव भारद्वाज पुत्र श्री स्व० श्री शिव कुमार निवासी मकान नम्बर 298 वार्ड नम्बर 02 मोरिण्डा जिला रोपड़ हाजिर मिला है। जिसने ए.एस.आई. जसबीर सिंह थाना साईबर मनसा देवी पंचकूला के खिलाफ रिश्त मांगने बारे एक टाइपशुदा शिकायत दी है व साथ ही शिकायत अनुसार रिश्त राशि 1,15,000/- रु. जो 500/500 रु. के कुल 230 नोट पेश किए हैं। जिस बारे उच्च अधिकारियों से विचार करके राजपत्रित गवाह नियुक्त करवाया गया। रेडिंग पार्टी तैयार की गई जिसमें निरीक्षक सतपाल सिंह, उप निरीक्षक निर्भय सिंह 21/अम्बाला, सहायक उप निरीक्षक विशाल 366/जी.जी.एम., सहायक उप निरीक्षक अंशू 714/पंचकूला, सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार 11/पंचकूला, मुख्य सिपाही जसपाल सिंह 432/अम्बाला, सिपाही सुरेश कुमार 517/अम्बाला, मुख्य सिपाही जगजीत सिंह 369/अम्बाला व चालक इ.एच.सी. भूपिन्द्र सिंह 1294/अम्बाला हैं व राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह श्री नितिश कुमार सिंगला, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पंचकूला अपने कार्यालय के श्री सुनील कुमार निरीक्षक सहित हाजिर आए हैं व श्री सुनील कुमार निरीक्षक को छाया गवाह नियुक्त किया है। जिनके सामने शिकायतकर्ता को शिकायत व रिश्त राशि सहित पेश किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए नोटों की सूची नोट व इन्वेटरी अलग से तैयार की गई जिन पर शिकायतकर्ता व गवाहों ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए असल नम्बरी नोटों पर मैंने बुरश के द्वारा फिनोल पैथालीन पाऊंडर लगाकर, शिकायतकर्ता राजीव उपरोक्त की जामा तलाशी विधि अनुसार लेकर, सभी करंसी नम्बरी नोट उसके हवाले करके ए.एस.आई. जसबीर सिंह से संपर्क करके उसके बताए स्थान पर जाकर जसबीर सिंह द्वारा रिश्त राशि मांगने पर उसे देने बारे हिदायत की गई व श्री सुनील कुमार निरीक्षक को हिदायत की गई कि शिकायतकर्ता के थोड़ा पीछे-2 जाकर शिकायतकर्ता राजीव व आरोपी के आस पास रहकर उनके बीच होने वाली बातचीत को सुने और आरोपी द्वारा रिश्त राशि ले लेने के बाद अपना दांया हाथ उठाकर ईशारा करे। जो फर्द जामा तलाशी, हवालगी करंसी नोट तथा नियुक्ति छाया गवाह तैयार की गई जिस पर शिकायतकर्ता राजीव व गवाहों ने अपने-2 हस्ताक्षर किए। शिकायतकर्ता राजीव द्वारा पेश की दरखास्त के सार से अपराध धाराधीन 7 पी.सी.एक्ट 1988 का होना पाया जाने पर तहरीर लिखकर तहरीर अभियोग अंकित करवाने के लिए सिपाही सुरेश कुमार 517/अम्बाला को थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सेक्टर-17, पंचकूला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पेशल

रिपोर्ट अभियोग उपरोक्त स्पेशल मैसेन्जर वा ईमेल के माध्यम से स्पेशल जज पंचकुला की सेवा में वा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावें। अभियोग की कॉपी व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। मन उप पुलिस अधीक्षक, राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह और छाया गवाह मय रेडिंग पार्टी व शिकायतकर्ता सहित रेड कार्यवाही में व्यस्त होता हूँ।

अज:- मोटर मार्किट मनीमाजरा

SD VIJAY

(विजय कुमार नेहरा, ह.पु.से.)

उप पुलिस अधीक्षक/अन्वेषणकर्ता अधिकारी,

थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

पंचकुला। दिनांक: 08.07.2025

समय: 9.50 AM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 08 दिनांक 08.07.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकुला, जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त सिपाही सुरेश कुमार 517/अम्बाला के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया। प्र0सू0रि0 अंकित करते CCTNS का सर्वर SLOW होने के कारण प्र0सू0रि0 अब तक चाक होती रही है। जिसकी शिकायत ईमेल के माध्यम से व बजरिया फोन CCTNS Haryana Help Desk पर की गई है। जिस सम्बन्ध में रपट रोजनामचा दर्ज की गई थी।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): VIJAY Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
KUAMR NEHRA

No. (सं.): 20 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.

(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIRENDER SINGH
SANGWAN

Rank (पद): DCP (Deputy Commissioner of
Police)

No. (सं.): HPS

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

